

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

:: दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़) ::

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा के पत्र क्रमांक/271 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा दुर्ग वन वृत्त के अधीनस्थ विभिन्न वनमण्डलों के लिए कम्प्यूटर नेटवर्किंग हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के निम्नानुसार स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 06/04/2013 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :

अ.क्र.	जिले का नाम	कार्यालय का नाम	पदों की संख्या	अ.ज.जा.		अ.जा.		अन्य पि.वर्ग		अनारक्षित				आवेदन पत्र किसको प्रेषित किया जाना है			
				पुष्टि	मृत्ति	सं.प्रदृश	पुष्टि	मृत्ति	सं.प्रदृश	पुष्टि	मृत्ति	सं.प्रदृश	पुष्टि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	दुर्ग	दुर्ग वनमण्डल	16	1	-	-	1	1	-	1	1	-	6	3	1	1	वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल,
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव वनमण्डल	9	2	1		1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल
3	--" --	खैरागढ़ वनमण्डल	10	2	1	-	1	-	-	1	-	-	4	1	-	-	वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल
4	कवर्धा	कवर्धा वनमण्डल	10	1	1	-	1	-	-	1	1	-	4	1	-	-	वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल
योग :-			45	6	3	-	4	1	-	4	2	-	17	6	1	1	

विज्ञापित पद का वेतनमान

अ.क्र.	पदनाम	मासिक एक निश्चित वेतन
1.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) एक मुश्त वेतन	9700/-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क्रमांक/292/289/वित्त/नियम/चार/2009 दिनांक 09.09.09 के अनुसार उपरोक्त निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होगा ।

1. नियम व शर्तें :-

- (1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन स्थापित नियमों के अंतर्गत डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर नियुक्ति की कार्यवाही एक वर्ष के लिए की जावेगी, जिसमें कार्यों की गुणवत्ता के आंकलन के आधार पर नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी ।
- (2) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अंतर्गत की जावेगी ।
- (3) अनुसूचित क्षेत्रों में भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी ।

2. डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता/योग्यता :—

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ9-4/05/1/3 दिनांक 06.12.

2010 के अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों के नियुक्ति के लिए निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण की गई है :—

1. कक्षा 12 वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण "अथवा"
कक्षा 10 वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में "त्रिवर्षीय डिप्लोमा" उत्तीर्ण।
2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा।
कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।
नोट :— "त्रिवर्षीय डिप्लोमा" केवल मान्यता प्राप्त संस्था का त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ही मान्य होगा।

3. आयुसीमा :—

- 3.1 दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए।
शासन द्वारा समय—समय पर दी गई आयु सीमा में छूट का प्रावधान रहेगा।
- 3.2 अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पि.व. (क्रीमीलेयर को छोड़कर) अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी।
- 3.3 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारकों के मामले में अधिकतम आयु में 2 वर्ष की छूट होगी।
- 3.4 विधवा परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं, शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मियों विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को एवं अन्य महिलाओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई आयु सीमा में छूट यथावत लागू होगी।
- 3.5 उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर संस्था :—

संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ—9—4/2005/1—3 दिनांक 07.04.2005 द्वारा निम्नानुसार मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

1. कम्प्यूटर आपरेटर—एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से।
2. प्रदेश के पॉलीटेक्निक से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट या कम्प्यूटर साईंस या इंफार्मेशन टेक्नालॉजी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा।
3. पं. रविशंकर विश्व विद्यालय रायपुर/गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर/इंदिरागांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय से एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन या समकक्ष डिप्लोमा।

5. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :—

- 5.1 अभ्यर्थी उपरोक्त जिलों के जिस वनमण्डल के रिक्तियों हेतु आवेदन करना चाहता है, उसी वनमण्डल में दिनांक 06/04/2013 को सांय 5:00 बजे तक आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा।

जिला का नाम	कार्यालय का नाम जहाँ आवेदन प्रेषित किया जाना है	दूरभाष क्रमांक
दुर्ग जिला	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग	0788-2323686
राजनांदगांव जिला	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव	07744-225059
	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़	07820-234278
कबीरधाम जिला	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा	07741-232230

- 5.2 दिनांक 12/04/2013 को आवेदन पत्रों के छान-बीन के पश्चात पात्र आवेदनकर्ता को अगले चयन प्रक्रिया हेतु बुलावा पत्र (Call Letter) भेजा जावेगा।

6. संविदा अवधि :— संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

7. अन्य शर्तें :—

- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- रोजगार कार्यालय में आवेदक का पंजीयन जीवित हो, पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- आवेदन बंद लिफाफे में उपरोक्त जिला के वनमण्डल कार्यालयों में वांछित प्रमाण पत्रों व अंकसूचियों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- उम्मीदवार आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक/ एवं पद का नाम स्पष्ट लिखे एवं स्वयं का पता लिखा 5/- रूपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा (10" x 4") अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- अन्य आवश्यक शर्तें, विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उपरोक्त दर्शित जिलों के समुख उल्लेखित वनमण्डल कार्यालयों में कार्यालयीन दिवस पर अथवा छ.ग. वन विभाग का वेबसाइट www.cgforest.com पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)